कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश

(कक्ष-स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.)

E-mail—pccfwl@mp.gov.in

स्टेट टाइगर स्ट्राइक फ़ोर्स को मिली बडी सफलता

कुख्यात एवं अंतर्राष्ट्रीय बाघ शिकारी आदिन सिंह उर्फ कल्ला बावरिया को हुई 04 वर्ष की सजा

प्रेस विज्ञप्ती (**10/26,** दिनांक **12.02.2026)**

माननीय मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश के निर्देशन में प्रदेश में वन एवं वन्यजीव संरक्षण हेतु लगातार समग्र प्रयास किये जा रहे है। इस दिशा में कार्यवाही करते हुए स्टेट टाइगर स्ट्राइक फ़ोर्स मध्यप्रदेश को वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरों भारत सरकार नई दिल्ली से प्राप्त इंटेलिजेन्स इनपुट के आधार पर दिनांक 18.08.2023 को ग्यारसपुर (विदिशा) से कुख्यात अंतर्राष्ट्रीय बाघ शिकारी एवं तस्कर आदिन सिंह उर्फ कल्ला बावरिया को गिरफ्तार किया था।

स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश के द्वारा भारत सरकार के माध्यम से **SAWEN** (South Asia Wildlife Enforcement Network) मुख्यालय काठमांडू नेपाल से संपर्क कर कल्ला व उसके गिरोह के अन्य सदस्यों तथा अपराधों के संबंध में पडोसी देश नेपाल से जानकारी एकत्रित की जिसमें **नेपाल में भी वर्ष 2012** में कल्ला के विरूद्ध बाघ के शिकार व उसके अवयवों की तस्करी का प्रकरण दर्ज होना पाया गया। साथ ही पडोसी राज्य महाराष्ट्र में भी बाघ के शिकार एवं उसके अवयवों के अवैध व्यापार का **एक प्रकरण वर्ष 2013** का पाया गया। कल्ला बावरिया की विगत् कई वर्षो से कई राज्यों की पुलिस, वन विभाग एवं नेपाल सेन्ट्रल इन्वेटिगेशन ब्यूरों (सीआईबी) तलाश रही थी। एसटीएसएफ द्वारा उक्त आरोपी को प्रोडक्शन वारंट पर वन विभाग जिला अकोला महाराष्ट्र को सौपा गया था।

प्रकरण की अग्रिम विवेचना के दौरान पुजारी सिंह वल्द रामकुमार सिंह बावरिया निवासी होशियारपुर पंजाब एवं गिरोह की मुख्य कडी बाघ तस्कर एक महिला रिंडिक टेरोंपी निवासी असम को एसटीएसएफ द्वारा वर्ष 2025 में गिरफ्तार किया गया।

एसटीएसएफ के द्वारा की गई सटिक विवेचना एवं वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर एकत्रित किये गये सबूतों तथा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी नर्मदापुरम द्वारा रखे गये शासन के ठोस पक्ष के आधार पर माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रट न्यायालय नर्मदापुरम द्वारा दिनांक 11.02.2026 को सभी **03 आरोपियों को दोषी मानते हुए 04-04 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 25000-25000 के जुर्माने से दंडित किया गया।** मध्यप्रदेश शासन वन विभाग द्वारा केन्द्र सरकार से अनुरोध कर कल्ला बावरिया को नेपाल को भी सौपे जाने की कार्यवाही की जावेगी ताकि दक्षिण एशिया महाद्वीप में फैले इस अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के द्वारा बाघों की शिकार व उनके अवयवों की तस्करी नेटवर्क को ध्वस्त किया जाना सुनिश्चित हो सकेगा।

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
मध्यप्रदेश, भोपाल